हिमाचल प्रदेश सरकार

वार्षिक
सामान्य प्रशासनिक
रिपोर्ट

2024-2025

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

शिमला - **171002**

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग–स्टाफ स्थिति	1-2
3.	संगठनात्मक चार्ट	3-4
4.	संगठनात्मक ढांचा	4
4.1.	राज्य योजना बोर्ड	4-6
4.2.	मुख्यालय	6-31
	(I) प्रशासन प्रभाग	7
	(II) योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग	7-11
	(III) पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग, आकांक्षी जिला कार्यक्रम व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम	11-14
	(IV) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	15-21
	(V) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना प्रभाग	22-24
	(VI) नाबार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	25-29
	(VII) मूल्यांकन प्रभाग	30
	(VIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	30
	(IX) कम्प्यूटर प्रभाग	31
4.3.	जिला कार्यालय	32
4.4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	33-41

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय :

पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने और वैज्ञानिक आधार पर उनके अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए सचिवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, योजना आयोग, भारत सरकार ने 1972–73 के दौरान हिमाचल प्रदेश में राज्य योजना मशीनरी की स्थापना की थी। वर्तमान में योजना विभाग का दायित्व राज्य विकास बजट प्राथमिकताओं एवं सकल विकास बजट परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा वार्षिक राज्य विकास बजट को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की नियमित समीक्षा, योजना विकास बजट का कार्यान्वयन, बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से प्राप्त निधि आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य किये जा रहे हैं। योजना विभाग द्वारा जन–शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना तथा 20–सूत्रीय कार्यक्रम, सतत् विकास लक्ष्य, आंकाक्षी जिला कार्यक्रम/आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, नीति आयोग के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय व मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन से सम्बन्धित कार्य, नीति आयोग की शाषी परिषद इत्यादि कार्य भी किया जा रहा है ।

2. योजना विभाग–स्टाफ स्थिति :

क0 सं0	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	0	1
2.	अध्यक्ष, 20–सूत्रीय कार्यक्रम	1	0	1
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप–निदेशक	6	4	2
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	22	15	7
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	8	9
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	14	7

11.	गणक	2	2	0
12.	सिस्टम ऐनालिस्ट	1	1	0
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	1	0	1
15.	संगणक संचालक	1	0	1
16.	निजि सचिव	1	0	1
17.	निजि सहायक	1	0	1
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	2	0
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	5	1
20.	आशुटंकक	3	3	0
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	20	17	3
22.	अधीक्षक श्रेणी–।	1	0	1
23.	अधीक्षक श्रेणी–।।	2	1	1
24.	वरिष्ठ सहायक	16	11	5
25.	लिपिक	12	11	1
26.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
27.	चालक	5	5	0
28.	चपड़ासी	20	20	0
29.	फ्राश	1	1	0
30.	जमादार	1	1	0
31.	सफाई कर्मचारी	1	1	0
कुल		**180**	**137**	**43**

3. संगठनात्मक चार्ट :

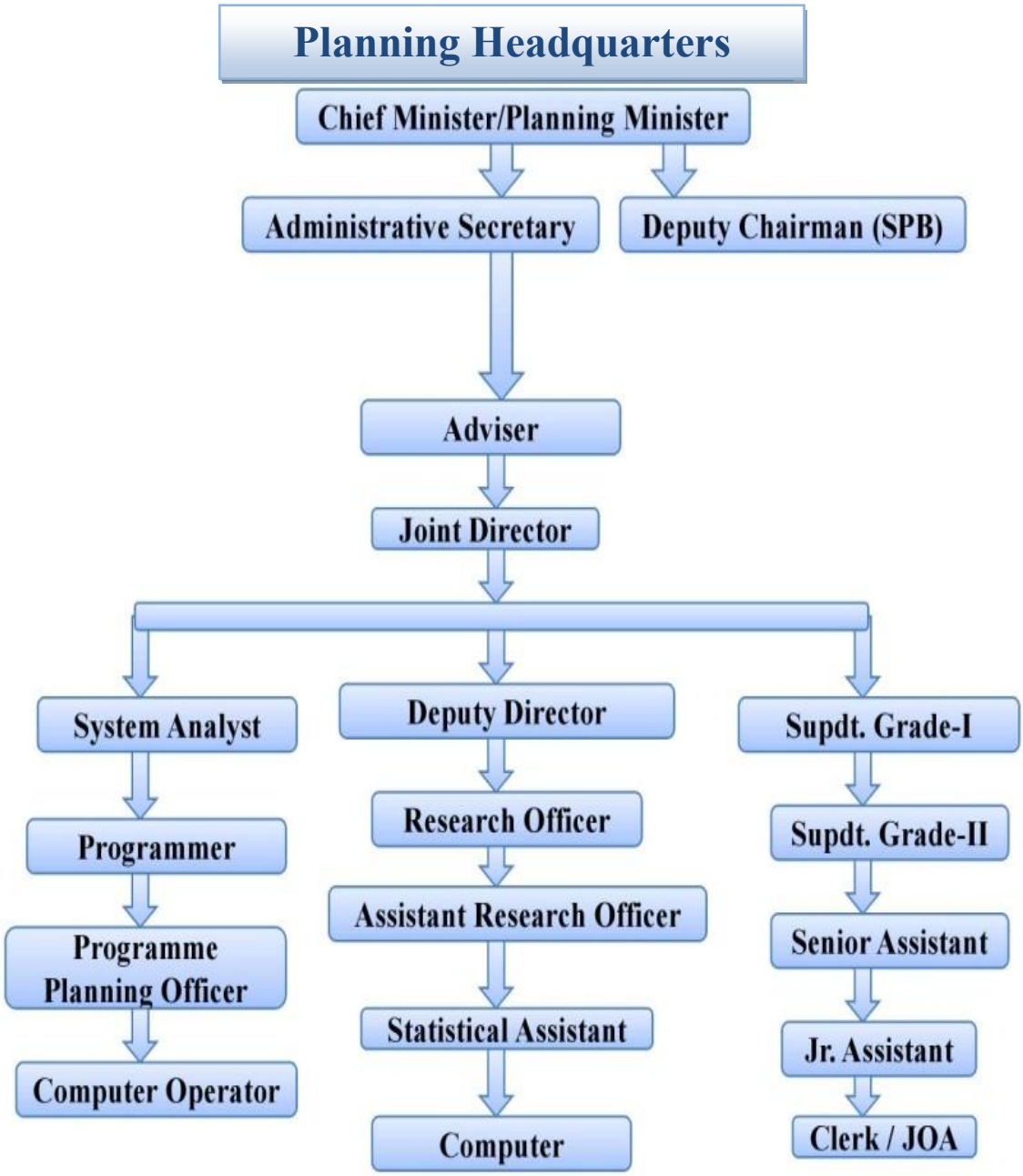

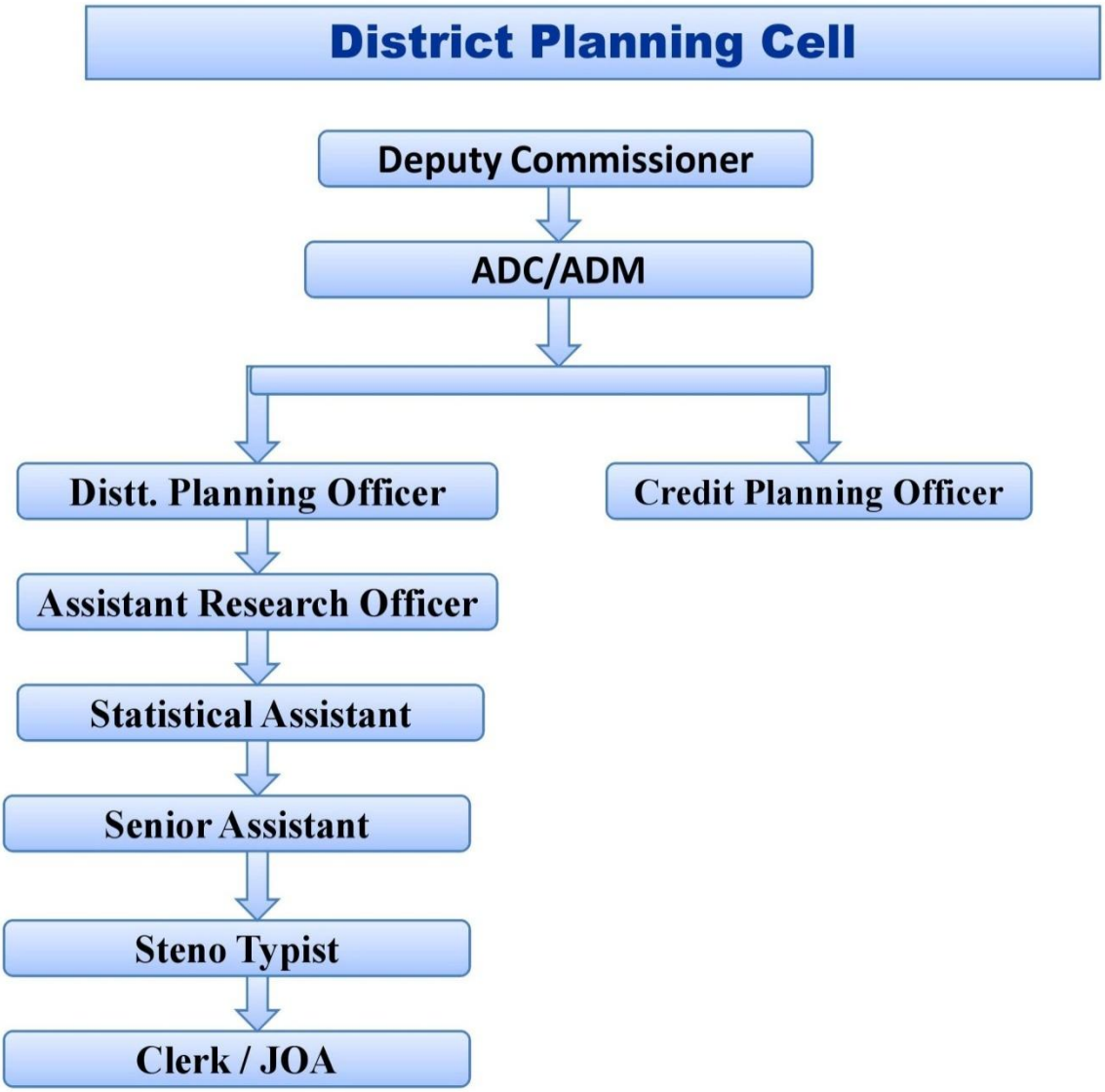

4. संगठनात्मक ढांचा :

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न हैः–

1. राज्य योजना बोर्ड।
2. मुख्यालय।
3. जिला कार्यालय।

4.1 राज्य योजना बोर्डः

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचनाः–

(i) **अध्यक्ष–माननीय मुख्यमन्त्री**

(ii) **उपाध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त**

(iii) **गैर–सरकारी सदस्य**

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) – अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति,जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक–एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक–अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी–अलग से अधिसूचित ।

(iv) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति

(v) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(vi) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. नियुक्ति की शर्तेः सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाती हैं।

III. योजना बोर्ड मुख्यालयः योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला में है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं।

IV. योजना बोर्ड के कार्यः

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन–शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम् उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार के वार्षिक विकास बजट को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण।

- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।

- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव।

- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण पर सुझाव।

- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना।

- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना।

- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विशलेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना।

- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विशलेषण करना।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डो की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना।

- जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना।

- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं एवं निगमों का मूल्यांकन करना।

4.2. मुख्यालयः

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :–

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2.	प्रशासनिक सचिव	प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन,

जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, 20–सूत्रीय कार्यक्रम, आर.आई.डी.एफ., विधायक प्राथमिकताएँ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAPs), SDGs, आंकाक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं। ये सभी प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक, सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं। संयुक्त निदेशक, कार्यालय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, विकास बजट आवंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

I. प्रशासन प्रभागः

संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया हैं। प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है। प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं।

II. योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग :

वर्ष (2024–25) में योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग को सौपें गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार से है :

योजना प्रारूपणः

योजना प्रारूपण प्रभाग मुख्य रूप से विकास बजट प्रारूपण हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों /विभागाध्यक्षों व अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करता है।इन बैठकों में हुई विस्तृत चर्चा के बाद राज्य के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक राज्य विकास बजट का निर्धारण करता है। बजट निर्धारित करते समय जनजातीय विकास कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रतिशतता मापदण्ड को भी सुनिश्चित कर विकास बजट को अन्तिम रूप देता है।

(क) बजट प्रारूपण प्रभाग द्वारा राज्य के विकास बजट (2025–26) का मसौदा तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की गई :–

1. सभी सम्बन्धित विभागों से सितम्बर–अक्तूबर माह में विकास बजट प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया।

2. वार्षिक विकास बजट (2025–26) के लिए विभिन्न विभागों की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु अक्तूबर, 2024 में श्रृंखलावार बैठकें आयोजित की गई थी।

3. विस्तृत चर्चा के बाद वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक विकास बजट का आकार निर्धारित किया गया और विकास शीर्ष वार विकास बजट तैयार करके Specific earmarking सहित सभी विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि वे वर्ष 2025–26 के विकास बजट को मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप लघु शीर्ष/ एसओई वार तैयार करके वित्त विभाग को सम्बन्धित बजट अनुदान मांगों में सम्मिलित करने के लिए प्रेषित करें।

4. वार्षिक विकास बजट (2025–26) का कुल आकार मुवलिग 10515.00 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था जिसमें से राज्य विकास बजट के लिए मुवलिग 5235.00 करोड़ रूपये तथा केन्द्रीय विकास बजट के लिए मुवलिग 5280.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए। जिनका विवरण तालिका–1 व तालिका–2 में निहित है।

5. वार्षिक राज्य/केन्द्रीय बजट का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–1 राज्य विकास बजट

(रू0 करोड़ों में)

क्रम संख्या	**सैक्टर**	**वार्षिक राज्य विकास बजट (2025–26) का प्रस्तावित परिव्यय**
1.	**2.**	**3.**
1.	कृषि एंव सम्बन्धित सेवाएं	455.42
2.	ग्रामीण विकास	153.65
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4.00
4.	सिंचाई एंव बाढ़ नियन्त्रण	120.85
5.	ऊर्जा	843.72
6.	उद्योग एंव खनन	16.91
7.	संचार एंव परिवहन	819.63
8.	विज्ञान,प्रोद्योगिकी एंव पर्यावरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी	6.01
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	273.68
10.	सामाजिक सेवाएं	2505.03
11.	सामान्य सेवाएं	36.10
	कुल	**5235.00**

तालिका –2 केन्द्रीय विकास बजट

(रू0 करोड़ों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक राज्य विकास बजट (2025–26) का प्रस्तावित परिव्यय
1.	2.	3.
1.	कृषि एंव सम्बन्धित सेवाएं	279.34
2.	ग्रामीण विकास	867.87
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00
4.	सिंचाई एंव बाढ़ नियन्त्रण	450.33
5.	ऊर्जा	0.00
6.	उद्योग एंव खनन	18.03
7.	संचार एंव परिवहन	800.00
8.	विज्ञान,प्रोद्योगिकी एंव पर्यावरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी	0.00
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	25.02
10.	सामाजिक सेवाएं	2765.43
11.	सामान्य सेवाएं	73.98
	कुल	**5280.00**

(ख) बजट आश्वासनों का कार्यान्वयन।

बजट प्रारूपण प्रभाग द्वारा वित वर्ष 2025–26 के लिए बजट आश्वासनों के विभागवार पैरा तैयार किए गए। इन आश्वासनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया व सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से अपने विभागों से सम्बन्धित बजट आश्वासनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। बजट आश्वासनों के प्रभावी कियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन भी किया गया।

(ग) जैन्डर बजटिंग पुस्तिका।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने व लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बजट 2025–26 में अलग से जैन्डर बजटिंग पर एक विस्तृत अध्याय व स्टेटमेंट तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में राज्य में चल रही ऐसे सभी कार्यक्रमों /योजनाओं का वर्णन है जिन से सीधे तौर पर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस पुस्तिका को भी बजट सत्र 2025–26 के दौरान राज्य विधान सभा में भी प्रस्तुत किया गया।

योजना कार्यान्वयन :

1. इस प्रभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त विचलन और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी गई।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया गया।
3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटान के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए।
5. इस अवधि में 295 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों से कई प्रस्ताव ई–ऑफिस पर भी प्राप्त हुए, जिनका परीक्षण किया गया।
6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियाँ भी की गई हैंः–

1. सतत विकास लक्ष्यः

चूंकि योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश में SDGs को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए SDGs के सम्बन्ध में सभी पत्राचार योजना कार्यान्वयन प्रभाग में निपटाए गए। योजना विभाग में Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre (SDGCAC) की स्थापना की गई है। 30 अक्तूबर, 2023 को GIZ और नीति आयोग के बीच "Support to the Green and Sustainable Development Partnership" (GSDP) Project के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। GIZ और नीति आयोग के सहयोग से योजना विभाग द्वारा SDGs के स्थानीयकरण के लिए 19 नवम्बर, 2024 को Support to the Green and Sustainable Development Partnership (GSDP) – NITI Aayog Project का सफलतापूर्वक शुभारम्भ किया गया है।

2. भारत सरकार से विशेष सहायताः

चूंकि भारत सरकार 2020–21 से विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए राज्यों को विशेष सहायता जारी कर रही है, इसलिए इस प्रभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त विशेष सहायता से सम्बन्धित पत्राचार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार को भारत सरकार से विशेष सहायता के रुप में मुबलिग 2381.37 करोड़ प्राप्त हुए जिसे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए जारी किया गया।

III. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना व 20–सूत्रीय कार्यक्रम प्रभागः

1. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजनाः

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995–96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय–समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैंः–

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना राज्य के दस जिलों में (जनजातीय जिलों को छोड़कर) कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

(ख) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

(i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायतें पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं। प्रदेश में कुल दस विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 392 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।

(ii) **कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 137 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(iii) **बिखरी पंचायतें (Dispersed)**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 125 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं।

(ग) चयनित 13 विकास शीर्षो में पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है ।

(घ) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है।

(ङ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।

(च) उप–योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है। उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप–योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में वर्ष 2024–25 तक कुल 3615 पंचायतों में से 654 पंचायतें पिछड़ी घोषित की गई हैं। सरकार द्वारा उप–योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या–15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना) में की जाती है। वितीय वर्ष 2024–25 के लिए मु0 105.61 करोड़ रू0 का बजट जिलों को पूंजीगत कार्यों के लिए आबंटित किया गया था।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2024–25 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(राशि रू0 में)

क्रम संख्या	**जिला**	**पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या**	**पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2024–25 परिव्यय/व्यय (पूंजीगत)**	
			बजट	**व्यय**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	बिलासपुर	15	242,22,472	224,20,638
2	चम्बा	176	2842,10,412	2277,74,472
3	हमीरपुर	14	226,07,645	149,39,089
4	काँगड़ा	18	290,66,969	190,36,696
5	कुल्लू	91	1469,49,694	494,54,651
6	मण्डी	208	3358,85,020	1873,48,901
7	शिमला	95	1534,09,019	1100,56,562
8	सिरमौर	29	468,30,123	185,83,727
9	सोलन	4	64,59,323	18,85,931
10	ऊना	4	64,59,323	23,92,154
	योग	**654**	**105,61,00,000**	**65,38,92,821**

2. 20–सूत्रीय कार्यक्रम प्रभागः

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उददेश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू–सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मत्रांलयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है ।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग होती हैं । 2009–10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है ।

2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। राज्य सरकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य और जिला स्तर पर तिमाही आधार पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों/उपलब्धियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/ जिला योजना अधिकारी भी समय–समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा/ अनुश्रवण करते हैं।

3. आकांक्षी जिला कार्यक्रमः–

आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में 112 अति पिछड़ें जिलों में शूरू किया गया। जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश से आंकाक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए गए जिलों में से एक था। राज्य इस कार्यक्रम के तहत मुख्य संचालन के रूप में प्रत्येक जिलों के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करेंगे तथा उन बिन्दुओं की पहचान करेंगे जिसमें सुधार की सम्भावना मौजूद है। इसी आधार पर नीति आयोग जिलों की मासिक आधार पर रैंकिंग प्रदान करेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 49 विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करता और चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर सम्बन्धित जिलों द्वारा अपलोड किए जा रहे रीयल–टाइम डेटा ट्रैकिंग के माध्यम से आंकाक्षी जिलों के सुधार का विश्लेषण करता है। अच्छे रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

मार्च, 2024 में ओवरओल अच्छे प्रर्दशन के आधार पर चम्बा जिला को पाँच करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि अधिकृत की गई है, जिसका प्रस्ताव जिला चम्बा द्वारा नीति आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है।

4. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमः–

माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में शुरू किया गया। शुरूआत में इस कार्यक्रम में देश भर से 500 ब्लॉकों को शामिल किया जाऐगा। इस कार्यक्रम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के पैटर्न के आधार पर लागू किया जाऐगा। नीति आयोग राज्यों के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों को कवर करने वाले विकास संकेतकों और उनके प्रदर्शन के आधार पर आकांक्षी ब्लॉकों की तिमाही रैंकिंग जारी करेगा। वर्ष 2024–25 में, ओवरओल अच्छे प्रर्दशन के आधार पर तिमाही सितम्बर 2023 के लिए ब्लॉक पांगी एवं ब्लॉक किन्नौर के लिए दो करोड़ रूपये तथा तीन करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि अधिकृत की गई है, जिसका प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने 6 अल्प विकसित विकास खण्डों को आकांक्षी ब्लॉक चयनित किया है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा भी अनुमोदित किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. पांगी ब्लॉक, जिला चम्बा।
2. तीसा ब्लॉक, जिला चम्बा।
3. पूह ब्लॉक, जिला किन्नौर।
4. निरमण्ड ब्लॉक, जिला कुल्लू।
5. कुपवी ब्लॉक, जिला शिमला।
6. छौहारा ब्लॉक, जिला शिमला।

IV. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991–92 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को प्रथम तीन तिमाहियों में रु0 4375.00 लाख जारी किये गए। वर्ष 2024–25 में जनजातीय जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 210.00 लाख एक मुश्त जारी किये गए। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस कार्यक्रम के लिए रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

1. शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज़ योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में समुदायक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।

3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50% हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।

4. स्वीकृत कार्यों का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।

5. जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबध है।

6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रूपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।

7. रु0 5.00 लाख रूपए तक के कार्यों का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में किया जाना सुनिश्चित किया जाता है और प्रत्येक कार्य का मापन उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप–पुस्तक (measurement book) में दर्ज किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पतियां स्वीकृत की जा सकती हैः–

1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पत्ति का निर्माण।
3. मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गों का निर्माण।
4. सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैण्ड पम्पों की स्थापना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
6. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
7. आवारा जानवरों के लिए गो–सदन की स्थापना।
8. सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1993–94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को रु0 8731.95 लाख जारी किये गए। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये इस योजना के अन्तर्गत रु0 1000.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यो पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकारी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रमों में तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।

3. उपायुक्त क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।

4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/ दायित्व और न ही स्वीकृतियाँ को इकट्ठा व किसी कार्य को वितीय वर्ष से अधिक चरणबद्ध करना स्वीकार्य है।

5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नही किया जाता है।

6. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यो को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वितीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रकिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999–2000 से "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001–02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003–04 में 24.00 लाख रू0 बजट प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरम्भ कर दिया गया। प्रदेश सरकार वर्षानुवर्ष इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधन बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को रू0 14347.45 लाख जारी किये गए तथा जनजातीय जिलों को रू0 595.50 लाख एक मुश्त जारी किये गए। प्रदेश में भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत सरकार ने इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में विशेष छूट देते हुए इस कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य कार्यो में रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्ट वॉल के पुनर्निमाण तथा नालों के तटीकरण की अनुमति 31 मार्च 2025 तक प्रदान की गई। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए किसी मुख्यमन्त्री आवास योजना के दिशा–निर्देर्शो के अनुरूप विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से किसी भी श्रेणी के लाभार्थी को आवास बनाने के लिए अनुशंसा कर सकते है। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक कांटेदार तार/जाली तथा सॉलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु अधिकतम 40.00लाख रूपये की अनुशंसा कर सकते है, किसी भी योजना/कार्य के अंतग्त FCA/FRA

cases हेतु Net Present Value एवं Compensatory Afforestation कर राशि का प्रावधान कर सकते है।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैः–

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण।
3. हैंड पम्पों की स्थापना।
4. ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।
5. गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि ग्रामीण स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
6. स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासांऊड मशीनें और ई.सी.जी. मशीनें इत्यादि।
7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी–नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।
12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डों आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता हैं।
13. दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतिकरण (LT Extensions).
14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण का कार्य।
16. बस अड्डों का निर्माण व रख–रखाव।
17. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।

18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव।

19. सामुदायिक Wi-Fi लगाने का प्रावधान (Non-recurring expenditure).

20. निर्माण कार्यों के साथ–साथ–अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना ।

21. पंजीकृत महिला मण्डलों को बर्तन व फर्नीचर तथा पंजीकृत युवक मण्डलों को खेल उपकरण (जिम) तथा पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को उपरोक्त मदों के क्रय हेतु अनुदान का प्रावधान (अधिकतम रू0 50,000 प्रति महिला मण्डल/ युवक मण्डल/ स्वयं सहायता समूह)।

22. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से विधायक अपनी निधि से (15 लाख पर रूपये तक) ''मुख्यमन्त्री लोक भवन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत बनने वाले सामुदायिक भवन को और बड़ा करने के लिए राशि प्रदान करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं ।

23. शहीदों के बलिदान की स्मृति में शहीदी द्वारों का निर्माण।

24. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केवल सामुदायिक लाभ हेतु Overhead/Underground पावर केब्लस को बदलने / नए लगाने का प्रावधान।

25. मुख्यमन्त्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि का प्रावधान।

26. मुख्यमन्त्री आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से किसी भी श्रेणी के लाभार्थी को आवास बनाने के लिए अनुशंसा कर सकते है ।

27. प्रति वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निम्न मदों के लिये अधिकतम मु0 रू0 40 लाख की लागत के कार्य माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित किये जा सकते हैः–

    (क) सामुदायिक लाभ हेतु खेतों की जंगली जानवरों एवं पशुओं से सुरक्षा के लिये कांटेदार तार/Chain linked जाली लगाने का प्रावधान।

    (ख) सामुदायिक लाभ हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान।

28. किसी भी योजना/कार्य के अंतर्गत FCA/FRA Cases हेतु Net Present Value एवं Compensatory Afforestation की राशि का प्रावधान।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़को से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनैक्टीविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निमार्ण किया जाता है। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनज़र 2 कि0मी0 तक जीप योग्य / ट्रैक्टर योग्य सम्पर्क मार्गो के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2003–04 में गैर जनजातीय जिलों के लिए आरम्भ की थी। वर्ष

2004–05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष 2008–09 में पुनः शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के तहत सभी गैर जन–जातीय जिलों को 735.0 लाख रूपए आवंटित किये गए। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस कार्यक्रम के लिए 100.00 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

1. इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आवंटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।

2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नही किए जाएगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख–रखाव सम्बन्धित पंचायत अपने स्त्रोत/ राजस्व से करेगें। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।

4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।

5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यो को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।

6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।

7. सड़क की अलाइन्मेन्ट (Alignment) लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि लोक निर्माण विभाग के मानदंडो के अनुसार जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क बनाया जा सके।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना नियमित दिशानिर्देशों द्वारा शासित की जाती है, जो पहली बार फरवरी 1994 में जारी किये गए थे और तब से इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार ने नवीनत्तम संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गए है। नए दिशानिर्देशों के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आई.टी. प्लेटफॉर्म (E-Sakshi) पर संचालित होगी जिससे माननीय सांसदों और केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजैंसियों सहित सभी हितधारकों के धन व कार्यों की स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विकासकार्यों की सिफारिश करते हैं। सांसदों की संस्तुति पर विभिन्न विकासकार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5.00 करोड़ रु0 की राशि प्रति सांसद जारी की जाती है। इस संदर्भ में 5 मार्च, 2024 को जिला शिमला में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रकिया एंव संशोधित दिशा–निर्देशों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूचि

1. सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवन
2. सार्वजनिक सुविधाऐं, सुरक्षा और संरक्षा
3. शिक्षा
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य
5. पीने का पानी व स्वच्छता
6. सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियन्त्रण प्रणाली
7. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन
8. कृषि और किसान कल्याण
9. ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली
10. रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते
11. पर्यावरण, जंगली जानवर, जंगल और अन्य प्रकृतिक संसाधन
12. सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाऐं, खेलकूद और पार्क

V. बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजना प्रभागः–

बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजनाएं :

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई0ए0पी0) प्रदेश में संसाधनों को पूरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है तथा जिनके अन्तर्गत राज्य को धन अनुदान व ऋण के रूप में 90:10 के अनुपात में भारत सरकार से प्राप्त होता है।

योजना विभाग में बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। इस प्रभाग का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता है तथा विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन एवं समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण, वानिकी, सिंचाई व सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, बागवानी एवं शहरी विकास आदि के क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर रही है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ–साथ ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

बाह्य सहायता एजेंसियों से बाह्य सहायता हेतु परियोजना को भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) को अस्थाई वित्तीय विवरण के साथ तैयार करना आवश्यक है । इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश सभी विभागों को समय–समय पर अनुपालना हेतु प्रेषित किए जाते हैं । भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार में भेजने से पहले गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षा/अनुमोदन किया जाता है।

1 नवम्बर, 2018 से राज्य क्षेत्र की परियोजना के मामले में प्राथमिक परियोजना प्रस्ताव को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा वर्तमान में बाह्य सहायता एजेंसियों से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) ऑनलाइन ही भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है। योजना विभाग को इस पोर्टल के संचालन के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। योजना विभाग ने राज्य की परियोजनाओं को बाह्य सहायता हेतु भारत सरकार को ऑनलाइन प्रेषित करने के लिए व्यापक और सरलीकृत दिशा–निर्देश व प्रक्रिया तैयार कर मौजूदा दिशा–निर्देशों को तदानुसार संशोधित कर अनुपालना हेतु सभी विभागों को प्रेषित किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान क्रियान्वित बाह्य सहायता परियोजनाएँ, पाइपलाइन परियोजनाएँ, नई परियोजनाओं के ऋण हस्ताक्षरित समझौता का विवरण निम्न है :–

1. 2024-25 के दौरान कार्यान्वित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएंः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग	परियोजना की लागत (रू0 करोड़ में)	बाह्य सहायता एजैन्सी	शुरू करने की तिथि	समापन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि0प्र0 फॉरेस्ट ईको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना	वन	304.76	के0एफ0 डब्लयू	दिसम्बर 2015	मार्च 2026
2.	हि0प्र0 वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका परियोजना	वन	800.00	जाईका	अप्रैल 2018	मार्च 2028
3.	स्त्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि एकीकृत विकास परियोजना	वन	700.00	विश्व बैंक	मार्च 2020	मार्च 2025
4.	पश्चिमी हिमालय में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सतत प्रबन्धन	वन	32.00	बी0एम0जेड	सितम्बर 2021	सितम्बर 2024
5.	ग्रीन ऐनेर्जी कॉरिडोर	विद्युत	840.00	के0एफ0 डब्लयू	अक्तूबर 2015	दिसम्बर 2024
6.	दियोथल चांजू और चांजू–।।।	विद्युत	692.00	ए0एफ0डी0	जुलाई 2017	सितम्बर 2026
7.	हाईड्रो ईलेक्ट्रिक परियोजना देवी कोठी (15 मे0वा0), साई कोठी–।(15 मे0वा0), साई कोठी–।। (16.50 मे0वा0), हेल (18 मे0वा0)	विद्युत	880.00	के0एफ0 डब्लयू	अक्तूबर 2022	जून 2030
8.	हि0प्र0 विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	विद्युत	2066.00	विश्व बैंक	नवम्बर 2023	जून 2028
9.	हि0प्र0 उद्यान विकास परियोजना	उद्यान	1060.00	विश्व बैंक	जून 2016	अक्तूबर 2024
10.	हि0प्र0 उपोषण कटिबन्धीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना हि0प्र0 शिवा परियोजना	उद्यान	1292.00	ए0डी0बी0	जून 2023	जून 2028
11.	हि0प्र0 कौशल विकास परियोजना	तकनीकी शिक्षा	650.00	ए0डी0बी0	मई 2018	जून 2025
12	हिप्र0 जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना	शहरी विकास	280.01	विश्व बैंक	अप्रैल 2019	दिसम्बर 2025
13.	शिमला हि0प्र0 जल आपूर्ति और सिवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम	शहरी विकास	1825.00	विश्व बैंक	दिसम्बर 2021	दिसम्बर 2026
14.	हि0प्र0 राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना	लोक निर्माण	799.68	विश्व बैंक	अक्तूबर 2020	सितम्बर 2026

15.	हि0प्र0 फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	कृषि	1010.60	जाईका	जुलाई 2021	दिसम्बर 2029
16.	हि0प्र0 ग्रामीण जल आपूर्ति	जल शक्ति	745.00	एन0डी0बी0	जनवरी 2022	अगस्त 2025
17.	हि0प्र0 ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना	जल शक्ति	1062.83	ए0डी0बी0	नवम्बर 2022	जून 2028
18.	हि0प्र0 के पांच नगरों में स्वच्छता और जल आपूर्ति	जल शक्ति	817.00	ए0एफ0डी0	मार्च 2023	मार्च 2026
19.	हि0प्र0आपदा जोखिम कमी कार्यक्रम	राजस्व (आपदा प्रबन्धन)	890.00	ए0एफ0डी0	जनवरी 2025	जनवरी 2030
परियोजनाओं की कुल लागत			**16,706.88**			

2. वर्ष 2024-25 के दौरान बाह्य सहायता परियोजना (पाईपलाईन)

क्र. सं.	**परियोजनाओं की सूची**	**विभाग**	**परियोजना की अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में)**	**अपेक्षित बाह्य सहायता एजैन्सी**
1	2	3	4	5
1.	हि0प्र0 बुनियादी ढांचा विकास निवेश पर्यटन कार्यक्रम	पर्यटन	2357.00	ए0डी0बी0
2.	निमार्ण और कार्यान्वयन नवाचार शहरी परिवहन परियोजना शिमला (रोपवे, लिफ्ट, एस्केलेटर)	परिवहन	1546.00	एन0डी0बी0
परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत			**3903.00**	

3. वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण समझौता हस्ताक्षरित नई परियोजनाएं

परियोजना का नाम	**विभाग**	**परियोजना की लागत (रू0 करोड़ में)**	**बाह्य एजैन्सी**	**अद्यतन स्थिति**
1	2	3	4	5
हि0प्र0आपदा जोखिम कमी कार्यकर्म	राजस्व (आपदा प्रबन्धन)	890.00	ए0एफ0डी0	दिनांक 10 जनवरी 2025 को ए0एफ0डी0 से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

VI. नाबार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभागः

वर्ष 1995–96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू–संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ–1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था । इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, तथा XXX के अर्न्तगत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है । मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यो का निर्माण ।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना" ।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
7. ई–अभिशासन (E-Governance) ।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
9. जल प्रवाह विकास योजना ।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।
13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण ।
14. सौर सिंचाई योजना।
15. पुष्प क्रांन्ति योजना।
16. रोपवेज
17. मल निकासी योजना।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31–03–2025 तक प्रदेश सरकार को 12,972.40 करोड़ रू0 की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका ट्रांच वार विवरण निम्नलिखित है :–

(रू0 करोड़ में)

ट्रांच संख्या	**कार्यक्रम की अवधि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**नाबार्ड ऋण सहायता**	**राज्य अंशदान**	**कुल स्वीकृत राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ-XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ-XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ-XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ-XX	2014-15 से 2017-18	161	707.61	58.89	766.50

आर.आई.डी.एफ-XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
आर.आई.डी.एफ-XXII	2016-17 से 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
आर.आई.डी.एफ-XXIII	2017-18 से 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
आर.आई.डी.एफ-XXIV	2018-19 से 2021-22	204	544.21	86.04	630.25
आर.आई.डी.एफ-XXV	2019-20 से 2022-23	184	752.47	72.83	825.30
आर.आई.डी.एफ-XXVI	2020-21 से 2023-24	251	844.22	82.02	926.24
आर.आई.डी.एफ-XXVII	2021-22 से 2024-25	208	1134.33	123.27	1257.60
आर.आई.डी.एफ-XXVIII	2022-23 से 2025-26	175	912.16	95.93	1008.09
आर.आई.डी.एफ-XXIX	2023-24 से 2026-27	155	918.81	87.26	1006.07
आर.आई.डी.एफ-XXX	2024-25 से 2027-28	137	1012.51	97.29	1109.80
	कुल योग :(I से XXX)	**6891**	**12972.40**	**1315.83**	**14288.23**

4. दिनांक 31–03–2025 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 12972.40 करोड़ रू0 में से प्रदेश सरकार ने 10143.50 करोड़ रू0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995–96 से 2024–25 तक विवरण निम्न तालिका में है :–

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	**प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ**
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49

2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
2018-19	625.76
2019-20	700.00
2020-21	663.54
2021-22	699.98
2022-23	839.28
2023-24	800.00
2024-25	850.00
Total	**10143.50**

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006–07 से 2024–25)

(रू0 करोड़ में)

क्रम संख्या	**वर्ष / ट्रांच**	**ऋण स्वीकृत लक्ष्य**	**उपलब्धियाँ**	**प्रतिशतता**
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12 (XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13 (XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67
14.	2019-20 (XXV)	700.00	752.47	107.50
15.	2020-21 (XXVI)	800.00	844.22	105.53
16.	2021-22 (XXVII)	1000.00	1134.33	113.43
17.	2022-23 (XXVIII)	800.00	912.16	114.00
18.	2023-24 (XXIX)	800.00	918.81	114.85
19.	2024-25(XXX)	900.00	1012.51	112.50

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है।

7. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :–

क्रम संख्या	**बैठक का नाम**	**बैठक की तिथि एवं स्थान**	**बैठक की अध्यक्षता**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 67वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	29–08–2024 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	आर0आई0डी0एफ0 की 68वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	08–01–2025 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3.	विधायकों के साथ बैठके	03 व 04 फरवरी, 2025 शिमला	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
4.	आर0आई0डी0एफ0 की 69वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	28–03–2025 शिमला	सलाहकार (योजना)] हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं। इन समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर भी समीक्षा बैठकें की जाती हैं। जिला स्तर पर भी सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

VII. मूल्यांकन प्रभागः–

मूल्यांकन में विभिन्न चल रही या पूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल है, जिसमें इसकी प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता को निर्धारित करने के उद्देश्य से डिजाइन, कार्यान्वयन और परिणाम शामिल हैं और इन योजनाओं और कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है ताकि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित किया जा सके। वितीय वर्ष 2024–25 मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नीति आयोग, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) द्वारा संचालित विभिन्न मूल्याकंन अध्ययनों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई।

VIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग :

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गएः–

1. वार्षिक बजट 2025–26 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2025 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया तथा इन बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई।

2. वर्ष 2024–25 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2024 को सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्रवाई प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई।

3. उपरोक्त के अनुरूप प्रत्येक माननीय विधायकों से पांच प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को **"नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2025–26",** के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।

4. विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृति के होते हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/ प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्रवाई की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से सूचित किया गया ।

IX. कम्पयूटर प्रभागः

योजना विभाग की कंप्यूटर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंम्प्यूटरीकरण प्रभाग का गठन किया गया है। योजना विभाग द्वारा प्रकाशित सभी रिपोर्टों/प्रकाशनों को कंप्यूटर पर संसाधित किया जाता है और बाद में प्रिंटिंग प्रेस में ऑफ–सेट पर मुद्रित किया जाता है। यह विभाग के लिए सॉफ्टवेयर विकास की जरुरतों को पूरा कर रहा है और योजना विभाग के विभिन्न प्रभागों के लिए निम्न सॉफ्टवेयर विकसित किए हैंः–

1. GIGW आधारित विभाग की वेब साइट का विकास और अद्यतन।
2. विकास बजट अनुश्रवण के विभागीय सॉफ्टवेयर का विकास एवं अद्ययतनीकरण।
3. योजना निर्माण अनुश्रवण के विभागीय सॉफ्टवेयर का विकास एवं अद्ययतनीकरण।
4. विधायक प्राथमिकता योजनाओं की निगरानी।
   (i) माननीय विधायक डैशर्बोड।
   (ii) योजना विभाग डैशर्बोड।
5. वार्षिक विकास बजट 2024–25
6. विभाग का वेतनमान/एडीए/वेतनमान बकाया।
7. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, बजट परिव्यय का जिला/एसओई–वार आवंटन।
8. विभिन्न योजना कार्यक्रमों/योजनाओं पर मूल्यांकन अध्ययन रिर्पोट।
9. विभाग में विभिन्न बैठकों पर पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन।
10. हार्डवेयर और सॉफटवेयर अनुप्रयोग के बारे में विभाग के सभी प्रभागों को सहायता।
11. विभाग के सभी कर्मचारियों की ई–सेवा पुस्तक।
12. ई–वितरण (हिमकोष) कार्य।
13. MPLADS सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग।
14. विकेंद्रीकृत योजनाओं के सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग।
15. ई–विधान सभा का कार्य व निगरानी।
16- जेम, ई–समाधान, हिमप्रगति, ई–समीक्षा, सीएम संकल्प इत्यादि।

4.3 **जिला कार्यालयः**

प्रदेश के सभी 10 गैर–जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की गई है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है । जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :–

1. जिला योजना अधिकारी	:	एक पद
2. साख योजना अधिकारी	:	एक पद
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी	:	एक पद
4. सांख्यिकीय सहायक	:	एक पद
5. वरिष्ठ सहायक	:	एक पद (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में प्रति जिला दो–दो पद)
6. आशुटंकक/ कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0 प्रौ0)	:	एक पद
7. लिपिक	:	एक पद
8. चपड़ासी	:	एक पद

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन भी सम्बन्धित जिला योजना कक्षों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं । जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं । जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी भी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है ।

4.4 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के उप–नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनाः

(i) विभाग के कार्य एवं कर्तव्य।

कृपया मद् **'पृष्ठभूमि एवं परिचय'** तथा **'संगठनात्मक ढांचा'** का अवलोकन करें।

(ii) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।

सलाहकार (योजना):

विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण सलाहकार (योजना) के पास है। वह कार्य निष्पादन में प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

संयुक्त निदेशक (योजना):

संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निर्वहन एवं अन्य कार्य जैसे प्रशासन, योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, सतत् विकास लक्ष्य, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन एवं समय–समय पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

उप–निदेशक (योजना):

सभी उप–निदेशक, विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारुपण, योजना कार्यान्वयन, ई0ए0पी, इनोवेशन, परफौरमैन्स मोनिटीरिंग, नाबार्ड, मूल्यांकन, जन–शक्ति एवं रोजगार, कम्पयूटरीकरण, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, इत्यादि के नियन्त्रक हैं। समस्त उप–निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं।

अनुसंधान अधिकारीः

विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में संयुक्त निदेशक एवं उप–निदेशकों की सहायता करते हैं। सभी नस्तियां उनके माध्यम से संयुक्त निदेशक व उप–निदेशकों को भेजी जाती है।

जिला योजना अधिकारीः

जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख **मद्–3 ''जिला कार्यालय''** में किया गया है।

सहायक अनुसंधान अधिकारीः

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

सांख्यिकीय सहायक :

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

गणक :

विभाग के योजना प्रारूपण प्रभाग में कार्यरत हैं तथा प्रभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, उनका निष्पादन करते हैं।

प्रणाली विश्लेषक :

प्रणाली विश्लेषक कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं। वह योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रोग्रामर :

प्रोग्रामर योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि में प्रणाली विश्लेषक की सहायता करते हैं।

कार्यक्रम योजना अधिकारी :

कार्यक्रम योजना अधिकारी विभाग में कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करने में प्रणाली विश्लेषक व प्रोग्प्रमर की सहायता करते हैं।

संगणक संचालक :

संगणक संचालक विभाग में कम्पयूटीरकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं। परन्तु इस समय अवधि में यह पद रिक्त है।

अधीक्षक ग्रेड–I :

अधीक्षक वर्ग–I योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं। प्रशासन प्रभाग की सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–I के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं। इस समय अवधि में यह पद रिक्त है।

अधीक्षक ग्रेड–II :

अधीक्षक ग्रेड–**II** प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखते है, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी–अपनी नस्तियां प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–I को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग–II के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।

वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक :

विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग–II के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं।

लिपिकः

कर्मचारी प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग–I/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधीक्षक वर्ग–**II** द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0प्रौ0):

कर्मचारी प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग– I /आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधीक्षक वर्ग– **II** द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।

निजि सचिव/निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिकः

कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप–निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन कॉल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख–रखाव करते हैं।

आशुटंककः

अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन कॉल सुनने/इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं।

प्रतिलिपि यन्त्र चालकः

विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं।

चपड़ासीः

विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।

जमादारः

कर्मचारी मन्त्री/ अधिकारियों के साथ तैनात रहते हैं, उनके दूरभाष attend करते हैं तथा कार्यालय में फर्नीचर तथा अन्य fixture की सफाई करते हैं तथा सरकारी डाक लाने व वितरण का कार्य करते हैं।

सफाई कर्मचारीः

विभाग के कमरों, बरामदों, शौचालयों एवं वाश वेसनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं।

(iii) प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यमः

सलाहकार(योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं। विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं। विभागाध्यक्ष

विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते है। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है।

(iv) कार्य निष्पादन हेतु मापदण्डः

विभाग के भिन्न–2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित नियमों/नीतियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं।

(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं।

विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों–विनियमों, निर्देशों तथा नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न हैः–

1. सी.सी.एस.लीव रूलज,**1972** ।
2. सी.सी.एस.(सी.सी.ए) रूलज।
3. एच.पी.एफ.आर रूलज।
4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज।
5. मैडिकल एटैन्डैंस सुविधा नियम।
6. गृह निर्माण अग्रिम नियम।
7. अवकाश यात्रा सुविधा नियम/यात्रा भत्ता नियम।
8. बजट मैनुअल।
9. आफिस मैनुअल।
10. पैंशन नियम।
11. सामान्य भविष्य निधि नियम/इ0पी0एफ रूल्ज।

निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशः–

1. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम
2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम
3. विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना
4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना
5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना
6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना
7. बाह्य–सहायता परियोजना
8. ग्रामीण संरचना विकास निधि
9. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund)
10. राज्य इनोवेटिव निधि (State Innovative Fund)
11. आकांक्षी जिला व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं। विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है।

(vi) दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।

पंच–वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न–भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच–वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची तथा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित ''दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030'', जन अधिकार पुस्तिका, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास।

(vii) किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार–विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो।

विभाग की विभिन्न समितियों में जन–प्रतिनिधियों को गैर–सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। गैर–सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति–निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन–प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप–मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर–सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार–विमर्श किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति–निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

(viii) बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।

विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया हैः–

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड।
2. राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय योजना विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य इनोवेशन परिषद।
4. केंन्द्रीय सैक्टर परियोजनाएं समन्वय समिति (सी.एस.पी.सी.सी)।
5. राज्य स्तरीय अन्तर विभागीय परियोजना समन्वय और अनुश्रवण ग्रुप (एस.एल.आई.डी.पी.सी.एम.जी.)।
6. नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.) हाई पॉवरड समिति।
7. स्टेट लेवल कमेटी फॉर द कॉरडीनेशन एंड मॉनटरिंग ऑफ कंन्वरजैंस इन्टगरेशन एंड फोक्सड।
8. केंन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सम्बन्धित स्टेट लेवल सैंक्सनिगं कमेटी ऑफ फलेक्सी फंडज।
9. राज्य स्तरीय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मूल्यांकन समिति।

10. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (E.A.P.)।

इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं।

(ix) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।

कृपया मद्–2.**योजना विभाग–स्टाफ स्थिति** का अवलोकन करें।

(x) प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली।

सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

(xi) प्रत्येक एजैंन्सी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती है।

योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित माप–दण्डों के आधार पर किया जाता है। प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आवंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है।

(xii) उपदान/कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभ भोगियों का विवरण धनराशि सहित।

विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है।

(xiii) रियायतों के पात्रों का विवरण।

लागू नहीं है।

(xiv) इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे।

विभिन्न प्रभागों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैवसाईट www.planning.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

(xv) लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो।

विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना विभाग के कार्यालयों से सुबह 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है।

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के पद–नाम एवं विवरण।

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है।
1.	2.	3.	4.	5.
(क)	सचिवालय स्तर पर			
1.	श्री राजीव चौहान, अपील प्राधिकारी	अवर सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2. दूरभाष नं0– 0177–2628501	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2.	श्रीमती उर्मिला कुमारी, जन सूचना अधिकारी	अनुभाग अधिकारी (योजना)	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नं0– 0177– 2880461	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
(ख)	राज्य स्तर पर			
1.	डा0 बसु सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार योजना/ विभागाध्यक्ष	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नं0– 0177–2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2	श्री सुमन लाल, जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड–।।	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नं0– 0177–2880840	मुख्यालय स्तर पर योजना विभाग
(x)	जिला स्तर पर			
1.	श्री अनुज ठाकुर, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, बिलासपुर। दूरभाष नं. 01978–222668	सम्बन्धित जिला
2	श्री जीवन कुमार, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, चम्बा। दूरभाष नं. 01899–226166	सम्बन्धित जिला

3	श्री अरुण चौधरी जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
4	श्री अलोक धवन जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला। दूरभाष नं. 01892-223316	सम्बन्धित जिला
5	श्री जवाहर लाल वर्मा, जन सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कुल्लू। दूरभाष नं. 01902-222872	सम्बन्धित जिला
6	श्री विनोद कुमार, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी। दूरभाष नं. 01905-225212	सम्बन्धित जिला
7	श्री अजय रतन, जन सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, शिमला। दूरभाष नं. 0177-2808399	सम्बन्धित जिला
8	श्री वेद प्रकाश, जन सूचना अधिकारी।	सहायक अनुसंधान अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, जिला सिरमौर स्थित नाहन। दूरभाष नं. 01702-224219	सम्बन्धित जिला
9	श्रीमति आभा, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, सोलन। दूरभाष नं. 01792-223702	सम्बन्धित जिला
10	श्री संजय सांख्यान, जन सूचना अधिकारी।	साख योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, ऊना। दूरभाष नं. 01899-226057	सम्बन्धित जिला

(xvii) ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो।

1. आर0टी0आई0 आवेदनों की दिनांक 01–04–2024 से 31–03–2025 तक की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है–

मुख्यालय स्तर परः–

कुल आवेदन पाप्त हुए	आवेदन का निपटारा	लम्बित
11	11	शून्य

जिला स्तर परः–

जिलों का नाम	कुल आवेदन पाप्त हुए	आवेदन का निपटारा	लम्बित
बिलासपुर	12	12	शून्य
चम्बा	09	09	शून्य
मंडी	11	11	शून्य
हमीरपुर	05	05	शून्य
कुल्लु	02	02	शून्य
सोलन	16	16	शून्य
कांगड़ा	25	25	शून्य
ऊना	02	02	शून्य
शिमला	15	15	शून्य
सिरमौर	03	03	शून्य
कुल	**100**	**100**	शून्य

2. **ई–समाधान से सम्बन्धित दिनांक 01–04–2024 से 31–03–2025 तक की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है–**

आवेदन का प्रकार	कुल आवेदन पाप्त हुए	कोई कार्रवाई नहीं	प्रगति पर	आवेदन का निपटारा
विकास सम्बंधी	10	0	3	7
जन–शिकायत सम्बंधी	41	11	5	25
कुल	**51**	**11**	**8**	**32**

******

Government of Himachal Pradesh

ANNUAL

GENERAL ADMINISTRATIVE

REPORT

2024-2025

Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	Background and Introduction	1
2.	Staff Position – Planning Department	1-2
3.	Organizational Chart	3-4
4.	Organizational Structure	4
4.1.	State Planning Board	4-6
4.2	Head Quarters	6-30
	(I) Administration Division	7
	(II) Plan Formulation & Plan Implementation Division	7-11
	(III) Backward Area Sub Plan, Twenty Point Programme Division, Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme	11-14
	(IV) Regional & District Planning Division	15-20
	(V) Externally Aided Project (EAP) Division	21-23
	(VI) NABARD – RIDF Division	24-28
	(VII) Evaluation Division	29
	(VIII) MLA Priority Division	29
	(IX) Computerization Division	30
4.3.	District Offices	31
4.4	Information of RTI Act-2005	32-40

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

In order to provide secretarial services to formulate the five-year plans and annual plans and their follow-up programmes on scientific lines, the Planning Commission, Government of India had set up a State Planning Machinery in Himachal Pradesh during 1972-73. At present, the State Planning Department has been mandated to formulate State Development Budget, determine the State Plan priorities, fixing plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, Sustainable Development Goals (SDGs), Aspirational Districts Programmes, Aspirational Block Programmes & Coordination with NITI Aayog on various matters, engagements related to the National Conference of Chief Secretaries and meetings of the Governing Council of NITI Aayog etc are also carried out.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

(As on 31.03.2025)

S. N.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Chairman Employment Generation & Resources Mobilization	1	0	1
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	0	1
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	4	2
7.	Research Officers / District Planning Officers	22	15	7
8.	Credit Planning Officers	10	10	0
9.	Assistant Research Officer	17	8	9
10.	Statistical Assistant	21	14	7

11.	Computer	2	2	0
12.	System Analyst	1	1	0
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	1	0	1
15.	Computer Operator	1	0	1
16.	Private Secretary	1	0	1
17.	Personal Assistant	1	0	1
18.	Senior Scale Stenographer	2	2	0
19.	Junior Scale Stenos	6	5	1
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant (I.T.)	20	17	3
22.	Superintendent Grade-I.	1	0	1
23.	Superintendent Grade-II.	2	1	1
24.	Senior Assistant	16	11	5
25.	Clerk	12	11	1
26.	DMO	1	1	0
27.	Driver	5	5	0
28.	Peons	20	20	0
29.	Frash	1	1	0
30.	Jamadar	1	1	0
31.	Sweeper	1	1	0
	TOTAL	**180**	**137**	**43**

3. ORGANISATIONAL CHART:

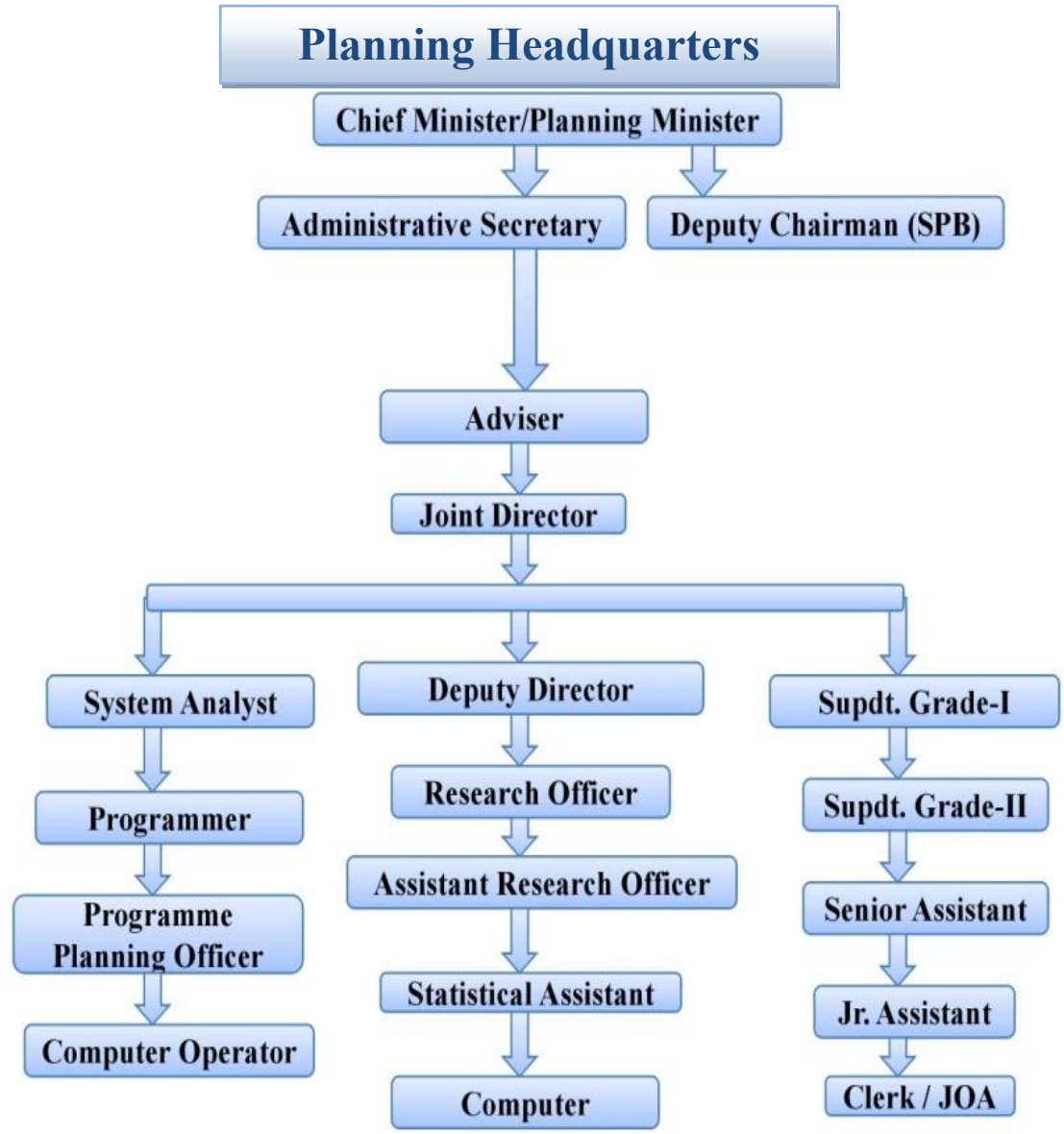

4. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of the Planning Department consists of the following three tires: -

1. State Planning Board.
2. Headquarters.
3. District Offices.

4.1. STATE PLANNING BOARD:

1. Composition: -

(i) Chairman: Chief Minister

(ii) Deputy Chairman: As appointed by the State Govt.

(iii) Non-official Members:

1. All Cabinet Ministers

2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)
(Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women
(Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
(Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
(Notified separately)

(iv) Official Members:

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(v) Ex-officio Members:

1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(vi) Member Secretary: Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: Prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board is in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under: -

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long-term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the annual plans and evolve a short-term strategy for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view social justice.

- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To identify the difficulties encountered in the implementation of decentralized planning programs at the district level and to suggest measures for their resolution and redressal.
- To evaluate various programmes/schemes and corporations as per the instructions of the Chairman.

4.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, the following is the structure of Planning Department for transaction of official business: -

1.	Minister – in-charge	Hon'ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Principal Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation,

Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan and Twenty Point Programme, R.I.D.F., M.L.A. Priorities, Externally Aided Projects (E.A.P.), SDGs, Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. Joint Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, development budget allocation, expenditure, etc. are given below: -

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of the Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under the report, the Administrative Division of the department has performed the above-mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION & PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

The details of the work assigned to the Plan Formulation & Plan Implementation Divisions 2024-25 are as under: -

PLAN FORMULATION:

The Plan Formulation Division mainly deals with the formulation of State Development Budget by convening meetings with Head of departments/ Stakeholders. After detailed discussions held in these meetings and keeping in view the available resources / priorities of State, this division formulates and finalizes overall size of State Development Budget by ensuring percentage criteria of TADP and SCDP.

1. **The process initiated and completed by the Plan Formulation Division during 2024-25 for preparation of State's Annual Development Budget 2025-26 are as follows: -**

(a) The Development Budget proposals were invited from all the departments in the month of September - October,2024.

(b) A series of meetings with concerned departments were organized in the month of October, 2024 to discuss & firm up the development priorities of the departments for Annual Development Budget (2025-26).

(c) After the detailed discussions, Annual Development Budget Size for the year 2025-26 was firmed up and the Head of Development wise budget ceiling along with specific earmarking were conveyed to all the concerned departments. The Head of Departments were also requested to prepare Major Head / Sub-Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head / SOEs wise development budget and submit the same to Finance Department for inclusion in the budget (Demand for Grants) for the year (2025-26)

The Annual State Development Budget (2025-26) was prepared by proposing a total development budget size of Rs. 10515.00 crore. Out of which Rs. 5235.00 crore was proposed under State Development Budget and Rs. 5280.00 crore under Central Development Budget.

The Sector – wise break up of Annual State / Central Development Budget are given as under: -

Table -1 State Development Budget

(Rs. in crore)

Sr. No.	Sector	Annual Development Budget (2025-26) Proposed Outlay
1.	**2.**	**3.**
1.	Agriculture and Allied Activities	455.42
2.	Rural Development	153.65
3.	Special Area Programme	4.00
4.	Irrigation & Flood Control	120.85
5.	Energy	843.72
6.	Industries and Minerals	16.91
7.	Transport & Communication	819.63
8.	Science, Technology & Environment and Information Technology	6.01
9.	General Economic Services	273.68
10.	Social Services	2505.03
11.	General Services	36.10
	Total	**5235.00**

Table -2 Central Development Budget

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Sector	Annual Central Development Budget (2025-26) Proposed Outlay
1.	**2.**	**3.**
1.	Agriculture and Allied Activities	279.34
2.	Rural Development	867.87
3.	Special Area Programme	0.00
4.	Irrigation & Flood Control	450.33
5.	Energy	0.00
6.	Industries and Minerals	18.03
7.	Transport & Communication	800.00
8.	Science, Technology & Environment and Information Technology	0.00
9.	General Economic Services	25.02
10.	Social Services	2765.43
11.	General Services	73.98
	Total	**5280.00**

II. Implementation of Budget Assurances.

The Budget Division has prepared department -wise Paras related to the Budget Assurances for the financial year (2025-26). The same was uploaded on the Him Pragati Portal and all the Administrative Secretaries and Head of Departments were requested to take necessary action for the effective implementation of the Budget Assurances pertaining to their respective departments. Meetings were also organized under the chairmanship of the Chief Secretary for the effective implementation of budget assurances.

III. Gender Budgeting Booklet.

To end discrimination against women and to promote the gender equality, a separate chapter and statement on Gender Budgeting has been prepared in the budget for financial year 2025-26. This booklet provides details of schemes/programmes that

directly benefit Women in the State. This booklet was also presented in the State legislature during the budget session 2025-26.

PLAN IMPLEMENTATION:

1. This division examined proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/re-appropriations were permitted.
2. Additionalities had been provided for those Schemes/Heads, which had the possibility of low intensity of expenditure. A cut was imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which were of utmost importance.
3. This division also arranged meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off such cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 295 references from different departments through Administrative Departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority. Apart from it, many files from different departments had also been received in e-Office and were examined.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan had been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, the following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference: -

1. Sustainable Development Goals:

Planning Department is the Nodal agency for implementing SDGs in Himachal Pradesh, so, all correspondence regarding SDGs is disposed off in Plan Implementation Division. The Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre (SDGCAC) has been established in the Planning Department. The Implementation Agreement of the "Support to the Green and Sustainable Development Partnership" (GSDP) Project was signed between GIZ and NITI Aayog on 30th October, 2023. In collaboration with the GIZ and the NITI Aayog, Planning Department has successfully launched the Support to the Green and Sustainable Development Partnership (GSDP) – NITI Aayog Project at Shimla on November 19, 2024, for localisation of SDGs in Himachal Pradesh.

2. Special Assistance from GoI:

As Government of India is releasing Special Assistance to States for various Capital works since 2020-21, so, this division dealt with the special assistance received from GoI. In the FY 2024-25, State Government had received ₹2381.37 crore as Special Assistance from GoI, which was further released to various developmental works of different departments in Himachal Pradesh.

III. BACKWARD AREA SUB-PLAN & 20 Point Programme DIVISION:

1. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP):

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identification and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. HP Government framed a comprehensive policy for backward areas during 1995-96 which has been implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under: -

(a) Backward Area Sub-Plan is operational in ten districts of the State (except Tribal Districts).

(b) Backward Area Sub Plan comprises three categories: -

(**i) Backward Blocks**: All blocks having 50% or more than 50% Backward declared Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Ten Backward Blocks in the State having 392 Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more backward declared Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 137 backward Panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above-mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 125 Dispersed Panchayats in the State.

(c) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.

(d) Both, beneficiaries and infrastructure development-oriented approaches have been adopted in these areas.

(e) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.

(f) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need-based diversions/ re-appropriation with the approval of DPDC. The Deputy Commissioners and District Planning Officers have been given the controlling/ sanctioning authority and Drawing & Disbursing Officers powers respectively.

There are 654 Panchayats declared as backward out of 3615 Panchayats in the State. A single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has been created for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. During the Financial Year 2024-25 the budget of Rs. 105.61 crore was allocated to districts under Capital Heads.

The district wise details of Backward Area Sub Plan 2024-25 outlay/ expenditure of Capital Head and number of Backward declared Panchayats are as under: -

(Rs. in lakh)

Sr. No.	**District**	**Number of Backward Declared Panchayats**	**BASP BUDGET & EXPENDITURE 2024-25 (Capital Head)**	
			Budget (Plan)	**Expenditure (Plan)**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Bilaspur	15	242,22,472	224,20,638
2.	Chamba	176	2842,10,412	2277,74,472
3.	Hamirpur	14	226,07,645	149,39,089
4.	Kangra	18	290,66,969	190,36,696
5.	Kullu	91	1469,49,694	494,54,651
6.	Mandi	208	3358,85,020	1873,48,901
7.	Shimla	95	1534,09,019	1100,56,562
8.	Sirmour	29	468,30,123	185,83,727
9.	Solan	4	64,59,323	18,85,931
10.	Una	4	64,59,323	23,92,154
	TOTAL	**654**	**105,61,00,000**	**65,38,92,821**

2. Twenty Point Programme (TPP): -

The Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) is being implemented in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The Twenty Point Programme is a monitoring mechanism which covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme/ schemes covered under TPP-2006 at National level based on performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items which vary from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of quarterly/ annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State and District levels on a quarterly basis.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/ MLA of all the districts review the progress of TPP in their quarterly review meetings. Deputy Commissioners/ Additional Deputy Commissioners/ Additional District Magistrates/ District Planning Officers also review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the districts in the various meetings.

3. Aspirational District Programme: -

Aspirational District Programme was launched in January 2018 in 112 relatively backward districts of the country for the 'Transformation of Aspirational Districts.' States as the main drivers of this program will focus on the strength of each district, identify low-hanging fruits for immediate improvement, measure progress, and rank the districts monthly. District Chamba of Himachal Pradesh is one of them. The ADP monitors 49 different Key Performance Indicators and analyses the improvement of aspirational districts through real-time data tracking being uploaded by concerned districts on the Champion of change dashboard. The district scored a good rank has also been awarded by NITI Aayog.

Based on the good overall performance in the month of March 2024, district Chamba has awarded an additional allocation of Rs. 5.00 crore, for which District Chamba must submit the proposal to NITI Aayog.

4. Aspirational Block Programme: -

This programme was launched by the Hon'ble Prime Minister in January, 2023. Initially the programme will cover 500 blocks across the country. The Programme will be implemented on a pattern similar to the aspirational District Programme. NITI Aayog, in partnership with the states, will release a quarterly ranking of aspirational blocks based on their performance on development indicators covering sectors such as health & nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion & skill development, and basic infrastructure, etc. In the year 2024-25, the good overall performance for the quarter September 2023 has awarded an additional allocation of Rs. 2.00 Cr. and Rs. 3.00 cr. for the blocks Pangi and Kinnaur, respectively. The State Government has selected six relatively underdeveloped blocks as Aspirational Blocks which have also been approved by the NITI Aayog. The names of these aspirational blocks are as follows:

1. Pangi Block of District Chamba.
2. Tissa Block of District Chamba.
3. Pooh Block of District Kinnaur.
4. Nirmand Block of District Kullu.
5. Kupvi Block of District Shimla.
6. Chhaohara Block of District Shimla.

IV. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, the Regional and District Planning Division has been set up in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given below: -

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of providing basic infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts/resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on a voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank/Post Office accounts opened in the name of the Deputy Commissioner concerned. Under this program, Rs 4375.00 lakh was released to all non-tribal districts in the first three quarters during the year 2024-25. Under this program, one time amount of Rs 210.00 lakh was released to the tribal districts during 2024-25. A budget provision of Rs. 100.00 lakh has been kept for the financial year 2025-26 under this scheme.

Salient features of this programme are given below:

1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While in case of Govt. assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where the sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. This facility is only for the creation of community assets and not for any family or a person/individuals asset.
2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.
5. Community and the Govt. are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.

6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:

i) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
ii) Construction of multipurpose community/public assets.
iii) Construction of motor-able roads and ropeways.
iv) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
v) Construction of buildings for public health services.
vi) Provision of important missing links, such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
vii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.
viii) Provision for installing solar streetlights.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

The Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds made by the Planning Department is based on 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this program, Rs 8731.95 lakh was released to all non-tribal districts during the year 2024-25. A budget provision of Rs. 1000.00 lakh has been kept for the financial year 2025-26 under this scheme.

Salient features of this programme are as under:

1. Under this programme, schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.

3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
5. The developmental work to be executed under SDP should lead to community benefit which consists of at least five families. No work benefiting individuals/single families can be taken up under this programme.
6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

The State Government launched "Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojna" in the year 1999-2000. To strengthen the decentralization process funds are provided to Deputy Commissioners enabling MLAs to make recommendations for sanctioning of developmental schemes in their constituencies/districts. As the schemes / works will be formulated / determined by the Hon'ble MLAs as such they will take keen interest in the implementation and monitoring of each scheme thereby resulting in effective utilization of the limited financial resources. This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency which has been raised to Rs. 2.20 crore per constituency in the F.Y 2024-25. In view of the damage caused due to heavy rains in the state, the State Government gave special relaxation in the guidelines of this program and allowed reconstruction of retaining wall/breast wall and channelization of Nullahs among the works acceptable under this programme upto 31st March 2025. Making additional provisions in the guidelines of this programme, the Government allowed for construction of houses for beneficiaries of any category as per the guidelines of Mukhya Mantri Awas Yojna, a maximum of Rs. 40.00 Lakh can be recommended by Hon'ble MLAs for installation of Solar Street lights/Barbed wire out of the VKVNY and Hon'ble MLAs can also recommend funds for Net Present Value and Compensatory Afforestation for FCA/FRA cases under any scheme/work.

The other scheme/works of the following nature can be undertaken under this programme: -

1. Construction of rooms in Educational Institutions.

2. Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub- Centres etc.
3. Installation of Hand Pumps.
4. Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
5. Construction of Community Bhawans which can be used for different institutions or celebrations at village level.
6. Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such as X-Ray Plants, Ultrasound machines and ECG machines etc.
7. Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution/ department should have full provision for recurring expenditure on it.
8. Construction of small bridge/ culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc.
9. Construction of metalled rural paths (concrete based or black topped), on which two-wheeler vehicles could be plied.
10. Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
11. Irrigation schemes at local level.
12. Construction of Toilets in schools and construction of public toilets & bathrooms in the bus stands.
13. Electrification of left out houses in remote/ rural areas (LT Extensions).
14. Maintenance of school buildings and construction of school playgrounds.
15. Construction of Gym centre in Panchayats & urban areas.
16. Construction and maintenances of Bus Stands.
17. In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
18. Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.
19. WiFi facilities (non-recurring expenditure).
20. Sanction of various facilities like sitting arrangements for students in schools, sports kits/equipments in schools, beds and blankets in the hospitals, replacement of motor pumps for water supply.
21. Provision for Grant to registered Mahila Mandals for purchase of utensils and furniture and grant to registered Yuvak Mandals for purchase of Sports equipments and also grant to registered Self Help Groups for purchase of above items (Maximum Rs. 50,000/- per Mahila Mandal/ Yuvak Mandal/ Self Help Group).
22. Construction of Shaheedi Dwars in commemorating the sacrifices of martyrs.

23. MLAs can recommend funds from their own funds (up to Rs. 15 lakh) to further expand the community hall to be built under the "Mukhyamantri Lok Bhawan" programme.
24. The work of installation/ replacement of overhead and underground power cables in urban and rural areas only for community benefit.
25. MLAs can recommend funds for completion of incomplete works under "Mukhyamatri Lok Bhawan Yojna".
26. The Hon'ble MLAs can make recommendations for construction of houses for any category of beneficiaries as per the guidelines of 'Mukhya Mantri Awas Yojana', under the scheme.
27. Every year for a constituency, a maximum of Rs. 40.00 Lakh can be recommended out of VKVNY by the Hon'ble MLA for the following works:
    a. Installation of barbed wires/ chain linked fences for protection from animals and stray cattle for community purposes.
    b. Installation of Solar Streetlights for community purposes.
28. Provision of funds for Net Present value and Compensatory Afforestation in FCA/FRA cases under any scheme/work.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

To provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Besides this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas is taken up under the scheme. The State Government has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. Under this program, Rs 735.09 lakh was released to all non-tribal districts during the year 2024-25. A budget provision of Rs. 100.00 lakh has been kept for the financial year 2025-26 under this scheme.

Salient features of this programme are given below:

1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made based on total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created, nor construction of kutcha path is allowed.
3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.

4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.
5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be permitted.
7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

5. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme is governed by a set of guidelines, which were first issued in February, 1994 and have since been revised from time to time. The Ministry of Statistics & Programme Implementation has released the latest revised guidelines, which have become effective from 1st April, 2023. The entire process of fund flow under the new guidelines will operate on an IT platform (E-SAKSHI), which will allow to monitor the status of the funds and works of all the stakeholders including Hon'ble Members of Parliament and Central and State Government agencies. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies as well as works of national priorities. Rs 5.00 Crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the Hon'ble MP. One day workshop was organized in Shimla on revised fund flow procedure and revised MPLADS Guidelines on 5th March,2024.

Indicative list of works permissible under MPLADS

1. Public and Community Building
2. Public conveniences, safety and security
3. Education
4. Public Health
5. Drinking water and sanitation
6. Irrigation, drainage and flood control systems
7. Animal husbandry, dairy and fisheries
8. Agriculture and farmer welfare
9. Energy supply and distribution systems
10. Railways, roads, bridges and pathways
11. Environment, wild animals, forest and other natural resources
12. Public recreational facilities, sports and parks.

V. Externally Aided Project (EAP) Division: -

Externally Aided Projects (EAPs):

Externally Aided Projects (EAPs) play a very important role to supplement State's own resources. EAPs are especially important for a hilly state like Himachal Pradesh which is amongst the eleven special category states and get loan components of funds under EAPs in the 90:10 ratio of grant and loan from GoI.

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of analyzing the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the progress of all the EAPs being implemented in the State. This division serves as a single window for the different donors for identification, appraisal, and feedback in respect of EAPs. Administrative Secretary (Planning), Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh.

The State Government is implementing Externally Aided Projects (EAPs) in the sectors of Public Works, Forestry, Irrigation & Public Health, Power, Agriculture, Horticulture, Urban Development etc. The implementation of these projects would help in achieving the objectives of increasing productivity and raising the quality of life, especially of the rural masses.

A Preliminary Project Report (PPR) is required to be prepared with tentative financial details before a project is submitted to GoI for external assistance on the formats prescribed for external assistance from External Donor Agencies. The necessary guidelines in this regard are circulated to all the departments from time to time for compliance. As per guidelines of Government of India for posing, implementation and monitoring of externally aided projects, all such proposals are being reviewed/approved by a State Level Screening Committee before sending the proposals to GoI.

From 1st November 2018 onwards, in case of the State Sector, project proposals are to be submitted online through a web portal of the Department of Economic Affairs (DEA) for seeking external assistance from External Donor Agencies. Adviser (Planning) has been nominated as State Nodal Authority for

operationalization of this portal. The Planning Department has accordingly revised the existing guidelines by preparing comprehensive & simplified guidelines and procedure for preparing State Sector proposals for further posing them to GoI through online portal for funding. List of ongoing EAPs, Pipeline projects, agreements signed during 2024-25 is as under: -

1. **On-going projects of Himachal Pradesh under Externally Aided Projects (EAPs) during 2024-25 :**

Sr. No.	Name of the Project	Sector	Cost (Rs. in Cr.)	Donor Agency	Starting Date	Concluding Date
1	2	3	4	5	6	7
1.	HP Forest Eco-System Climate Proofing Project	Forest	304.76	KfW	Dec-2015	Mar-2026
2.	HP Forest Eco-system Management & Livelihood Improvement Project	Forest	800.00	JICA	Apr-2018	Mar-2028
3.	Integrated Development project for Source Sustainability & Climate resilient Rain-fed Agriculture	Forest	700.00	World Bank	Mar-2020	Mar-2025
4.	Sustainable Management for Forest Ecosystem Services in the Western Himalayas (HIMFES)	Forest	32.00	BMZ	Sep-2021	Sep-2024
5.	HP Horticulture Development Project	Horticulture	1,060.00	World Bank	June-2016	Oct-2024
6.	HP SHIVA	Horticulture	1,292.00	ADB	June-2023	June-2028
7.	Green Energy Corridor-I	Power	840.00	KfW	Oct-2015	Dec-2024
8.	Deothal Chanju and Chanju-III	Power	692.00	AFD	July-2017	Sep-2026
9.	HEPs -Devi Kothi (15 MW), Sai Kothi-I (15MW), Sai Kothi-II (16.50 MW) & Hail (18MW)	Power	840.00	KfW	Oct-2022	June-2030
10.	HP Power Sector Development Programme	Power	2,066.00	World Bank	Dec-2023	June-2028

11.	HP Skill Development Project	Tec. Edu.	650.00	ADB	May-2018	June-2025
12.	HP Water Supply & Sewerage Project	UD	280.01	World Bank	Apr-2019	Dec-2025
13.	Shimla HP Water Supply & Sewerage Service Delivery Programme Program	UD	1,825.00	World Bank	Dec-2021	Dec-2025
14.	HP State Road Transformation Project (HPSRP-II)	Public Works	799.68	World Bank	Oct-2020	Sep-2026
15.	HP Crop Diversification Promotion Project, Phase-II	Agriculture	1,010.60	JICA	Jul-2021	Dec-2029
16.	HP Rural Water Supply	Jal Shakti	745.000	NDB	Jan-2022	Aug-2025
17.	HP Rural Water Improvement & Livelihood Project	Jal Shakti	1,062.83	ADB	Nov-2022	Jun-2028
18.	HP Sanitation and Water Supply in Five Towns	Jal Shakti	817.00	AFD	Mar-2023	Mar-2026
19.	HP Disaster Risk Reduction Program	Rev-Disaster Management	890.00	AFD	Jan-2025	Jan-2030
Total Cost of the Projects			**16,706.88**			

2. Externally Aided Projects (Pipeline) during 2024-25

Sr. no.	List of Projects	Sector	Proposed Cost (Rs. in Crores)	Proposed Donor Agency
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Infrastructure Development Investment Program for Tourism for Himachal Pradesh	Tourism	2,357.00	ADB
2.	Construction & Implementation of Innovative Urban Transportation Project in Shimla (Ropeways, Lifts & Escalators)	Transport	1,546.00	NDB
Estimated Total Cost of Projects			**3,903.00**	

3. Externally Aided Project signed during 2024-25:

Name of the Project	Sector	Total Cost of Project (Rs. in Cr.)	Donor Agency	Loan Agreement signing date
1	**2**	**3**	**4**	**5**
HP Disaster Risk Reduction Program	Rev-Disaster Management	890.00	AFD	On 10th January 2025 a loan agreement was signed with AFD.

VI. NABARD – RIDF Division:

Rural Infrastructure Development Fund Programme under NABARD extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, have been implemented since **RIDF-I (1995-96).** This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX & XXX** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects. Later on, loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has got projects approved or has posed projects to NABARD for funding are :-

(i) Construction of Roads and Bridges.
(ii) Construction of Irrigation schemes.
(iii) Construction of Flood Protection Works.
(iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
(v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
(vi) Establishment of Citizen Information Centres.
(vii) E-Governance.
(viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
(ix) Watershed Development Projects.
(x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
(xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
(xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
(xiii) Construction of CA Stores.

(xiv) Saur Sinchayee Yojna.

(xv) Pushp Kranti Yojna.

(xvi) Ropeways

(xvii) Sewerage Scheme

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 12972.40 crore in favor of Himachal Pradesh up to 31st March, 2025.The tranche-wise break-up is given as under: -

(Rs. in crore)

Sr. No	**Tranche No.**	**Duration/Phasing Period**	**No. of Schemes Sanctioned**	**NABARD Loan Sanctioned**	**State Contribution**	**Total Amount Sanctioned**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
22	RIDF-XXII	2016-17 TO 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
23	RIDF-XXIII	2017-18 TO 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
24	RIDF-XXIV	2018-19 TO 2021-22	204	544.21	86.04	630.25

25	RIDF-XXV	2019-20 TO 2022-23	184	752.47	72.83	825.30
26	RIDF-XXVI	2020-21 TO 2023-24	251	844.22	82.02	926.24
27	RIDF-XXVII	2021-22 TO 2024-25	208	1134.33	123.27	1257.60
28	RIDF-XXVIII	2022-23 TO 2025-26	175	912.16	95.93	1008.09
29	RIDF-XXIX	2023-24 TO 2026-27	155	918.81	87.26	1006.07
30	RIDF-XXX	2024-25 TO 2027-28	137	1012.51	97.29	1109.80
	GRAND TOTAL (I TO XXX)		**6891**	**12972.40**	**1315.83**	**14288.23**

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 12972.40 crore, the State Government has availed Rs. 10143.50 crore up to 31.03.2025 from the NABARD. Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2024-25 is as below: -

Year	**Reimbursement Availed (Rs. In crore)**
1.	**2.**
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00

2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
2018-19	625.76
2019-20	700.00
2020-21	663.54
2021-22	699.98
2022-23	839.28
2023-24	800.00
2024-25	850.00
Total	**10143.50**

5. Project Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2024-25): -

(Rs. In crore)

Sr. No.	Year/Tranche	Project Sanction Target	Achievements	% age
1.	2006-07(XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08(XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09(XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10(XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11(XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12(XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13(XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14(XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15(XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67
14.	2019-20 (XXV)	700.00	752.47	107.50
15.	2020-21 (XXVI)	800.00	844.22	105.53
16.	2021-22 (XXVII)	1000.00	1134.33	113.43

17.	2022-23 (XXVIII)	800.00	912.16	114.00
18.	2023-24 (XXIX)	800.00	918.81	114.85
19.	2024-25 (XXX)	900.00	1012.52	112.50

6. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

7. Details of RIDF review meetings held during the year 2024-25:

Sr. No.	**Name of the Meeting**	**Date and Place of meeting**	**Under the Chairmanship**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	67th HPC meeting on RIDF.	29th August 2024 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	68th HPC meeting on RIDF.	8th January 2025 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
3.	MLAs meetings	3rd and 4th February 2025 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
4.	69th HPC meeting on RIDF.	28th March 2025 (Shimla)	Adviser (Planning).

In addition to the above-mentioned meetings, review meetings were held on regular intervals in the Regional Office, NABARD Shimla. The representatives of the implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at the level of concerned Administrative Secretary and HOD and at District level by the Deputy Commissioners.

VII. Evaluation Division: -

Evaluation involves systematic and objective assessments of the implementation process of various on-going or completed schemes and programmes including the design, implementation and results with the aim to determine its effectiveness, impact and sustainability and to suggest remedial measures for making these schemes and programmes more effective. During Financial Year 2024-25 the Evaluation division has help in coordination work with district Authorities of State to complete various evaluation studies conducted by NITI Aayog, Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO).

VIII. MLA PRIORITY DIVISION: -

MLA Division has performed following works during the financial year 2024-25: -

1. The annual MLAs meetings for the finalization of priorities of Hon'ble MLAs for the F.Y. 2025-26 were convened under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister HP on 03rd and 4th February,2025 and the minutes of these meetings were issued to all the concerned departments for taking further action.

2. The minutes of MLAs priority meetings that was held on 29th and 30th January,2024 were issued to all the concerned department/organization for taking appropriate action. The action taken reports from the departments were received and the consolidated reports were circulated to all the concerned Hon'ble MLAs for their information.

3. MLA priorities for the F.Y. 2025-26 were collected from Hon'ble MLAs and printed as **"नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2025–26",** It is one of the documents of Annual Budget.

4. The works related to MLAs priority are of varied nature. Various proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs during the financial year 2024-25. Actions on the substitution proposals were taken as per approved policy of the State Government. Implementing departments were asked to take the follow-up actions accordingly. Concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

IX. COMPUTERISATION DIVISION:

The Computerization Division has been constituted to fulfil the computer needs of the Planning Department. All reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later-on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following software for different divisions of the Planning Department:

1. Development and updating of GIGW based Department Web site.
2. Development and updating departmental software of **Development Budget Monitoring.**
3. Development and updating departmental software for **Plan Formulation Monitoring.**
4. **MLAs Priority Scheme(s) Monitoring:**
    I. Hon'ble MLAs Dashboard
    II. Planning Department Dashboard
5. Annual Development Budget 2024-25.
6. e-salary Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
7. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
8. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/ Schemes.
9. Power Point Presentations on various meetings in the department.
10. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
11. e-service book of all employees of department
12. e-Vitran – Himkosh working.
13. MPLADs Software Monitoring.
14. Decentralized MIS Software Monitoring.
15. E-Vidhan work / Monitoring
16. GeM, e-Samadhan, Himpragati, e-SamikSha, CM Sankalp etc.

4.3 DISTRICT OFFICES:

District Planning Cells has been created in all the ten non-tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the Deputy Commissioners concerned. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff have been provided in District Planning Cells:-

1.	District Planning Officer	:	One Post
2.	Credit Planning Officer	:	One Post
3.	Assistant Research Officer	:	One Post
4.	Statistical Assistant	:	One Post
5.	Sr. Assistant	:	One Post (Two posts each in District Shimla, Mandi and Kangra)
6.	Steno-Typist/JOA(IT)	:	One Post
7.	Clerk	:	One Post
8.	Peon	:	One Post

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. Works related to Aspirational District Program and Aspirational Block Program are also being executed through the respective District Planning Cells. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4.4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005.

(i) Particulars of organization, functions and duties.

Please see heading:

1. **BACKGROUND AND INTRODUCTION**
2. **ORGANISATIONAL STRUCTURE of the report.**

(ii) Powers and duties of its Officers and Employees.

Adviser (Planning): Overall administrative and financial control of the Department. He helps Principal Secretary (Planning) to the Govt. of HP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Principal Secretary (Planning) to the Govt. of Himachal Pradesh.

Joint Director (Planning): He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to Administration, Plan Formulation, Plan Implementation, Sustainable Development Goals, Regional & District Planning and liaisoining with the Niti Ayog, Government of India assigned to him from time to time.

Deputy Directors: The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, EAP, Innovation, Employment, Computerization, MPLADS, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.

Research Officers: The Research Officers assist the Joint Director & Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Joint Director & Deputy Directors through Research Officers.

District Planning Officers: The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading **"4. DISTRICT OFFICES".**

Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/ correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.

Statistical Assistants: Deal with the various works/ proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.

Computer: Working in the Plan Formulation division of the department. They perform their duties and functions as assigned to them by the Officer of concerned divisions.

System Analyst: The System Analyst is the in-charge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Programmer: He helps System Analyst to develop software and other computer related works.

Programme Planning Officer (PPOs): He/she helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Computer Operator: He/she assists the Programmer/PPOs in software development; data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department. But this post is lying vacant in this time period.

Superintendent Gr.-I: All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level. This post is lying vacant during this period.

Superintendent Gr.-II: All the Senior/Junior Assistants, clerks and JOAs of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO for final decision at appropriate level.

Senior Assistants/Junior Assistants: Deal with administrative, personnel, budget, organizational matters, etc. and works assigned by Superintendent/DDO/Higher Officers.

Clerks: Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/ DDO/Supdt. Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Junior Office Assistant (IT) (JOAs) : Perform duties and functions as assigned to them by Superintendent Gr-I/DDO/Supdt.Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Private Secretary/Personal Assistant/Sr. Scale Stenographer/Jr. Scale Stenographers:

Perform duties with Head of Department, Joint Director/ Deputy Directors. These officials attend work such as dictation / typing work /attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.

Steno Typists: Perform duties of dictation and typing work with the officers.

Duplicating Machine Operator: To operate the Photostat machines of the Department.

Peons: They perform the duties as per office manual.

Jamadar: (i) To attend to the calls of Minister/ Officer with whom posted.
(ii) To ensure the cleanliness and the general up-keep of the room and the furniture, fixture and equipment and to carry and distribute the office file/dak.

Sweeper: To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.

(iii) Procedure followed in the decision-making process including channels of supervisions and accountability.

Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.

The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division (s).

(iv) Norms set by it for the discharge of its functions.

Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.

(v) Rules, Regulations, Instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.

The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under: -

1. CCS Leave Rules, 1972.
2. CCS and CCA Rules
3. HPFR Rules
4. FR & SR Rules
5. Medical Attendance Rules
6. House Building Advance Rules
7. L.T.C. Rules/T.A. Rules
8. Budget Manual
9. Office Manual
10. Pension Rules
11. GPF Rules/ EPF Rules

Guidelines for implementation of the following programmes: -

1. Sectoral Decentralized Planning (SDP)
2. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS)
3. Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY)
4. Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY)
5. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs)
6. Backward Area Sub Plan (BASP)
7. Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
8. Externally Aided Projects (EAPs)
9. District Innovation Fund (DIF)
10. H.P. State Innovative Fund (SIF)
11. Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme

Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes along with organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.

(vi) Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.

Five-year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five-Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Reports and Annual Administrative Report. Drishti Himachal Pradesh-2030 on Sustainable

Development Goals, Jan Adhikar Pustika, Initiatives of Himachal Pradesh Government for improving Ease of Living in Himachal Pradesh.

(vii) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.

The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion/suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.

(viii) A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The following Boards/Committees have been constituted in the department: -

(1) Himachal Pradesh State Planning Board.
(2) State Level and District Level Planning Development & Twenty Point Programme Review Committee.
(3) Himachal Pradesh State Innovation Council.
(4) Central Sector Projects Coordination Committee (CSPCC).
(5) State Level Inter Departmental Project Coordination & Monitoring Group (SLIDPMG).
(6) High Powered Committee of NABARD (R.I.D.F.)
(7) State Level Committee for the co-ordination and Monitoring of Convergence, Integration & Focused.
(8) State Level Sanctioning Committee (SLSC) related to centrally sponsored schemes of Flexi-Funds
(9) State Level Monitoring Committee (SLSC) of MPLADS.
(10) For approval of Externally Aided Projects, State Level Monitoring Committee (EAP).

Meetings of these Committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.

(ix) A directory of its officers and employees.

Detail given under heading **"2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT".**

(x) The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations.

The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time.

(xi) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made.

The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of each division.

(xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

There is no subsidy programme being executed directly by the department.

(xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it.

Not applicable.

Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.

(xiv) Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form.

The information relating to the various activities under different divisions of the Department is available on the website http://planning.hp.gov.in.

(xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library, or reading room, if maintained for public use.

The public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.

(xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Sr. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction/ Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
(A) SECRETARIAT LEVEL				
1	Sh. Rajiv Chauhan, Appellate Authority	Under Secretary (Planning) to the GoHP	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel.No.0177-2628501	Planning Department at Sectt. level.
2	Smt. Urmila Kumari P.I.O.	Section Officer (Planning)	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.0177-2880461	Planning Department at Sectt. level.
(B) STATE LEVEL				
1	Dr. Basu Sood Appellate Authority	Advisor Planning/Head of Department	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 0177-2621698	Planning Department at State level.
2	Sh. Suman Lal, P.I.O	Superintendent Grade-II	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.0177-2880840	Planning Department at Headquarter Level.
(C) DISTRICT LEVEL				
1.	Sh. Anuj Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
2	Sh. Jeevan Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Chamba. Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
3	Sh. Arun Chaudhary Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.

4	Sh. Alok Dhawan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
5	Sh. Jawahar Lal Verma, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kullu Telephone No. 01902-222872	Concerned District.
6	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Mandi. Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7	Sh. Ajay Rattan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Shimla Te.No.2808399	Concerned District.
8	Sh. Ved Prakash, Public Information Officer	Assistant Research Officer	District Planning Cell, DC Office, Sirmour at Nahan Telephone No. 01702-224219	Concerned District.
9	Smt. Abha, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Solan Telephone No. 01792- 223702	Concerned District.
10	Sh. Sanjay Sankhyan, Public Information Officer	Credit Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Una Telephone No. 01975-226057	Concerned District.

(vii) Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.

1. **Status of RTI applications received w.e.f. 01-04-2024 to 31-03-2025 are as under: -**

At Headquarters level: -

Total Applications Received	Disposed Off	Pending
11	11	0

At Districts Level:-

S. No.	Name of Districts	No. of applications received	No. of applications disposed off	No. of applications pending
1	Bilaspur	12	12	0
2	Chamba	09	09	0
3	Mandi	11	11	0
4	Hamirpur	05	05	0
5	Kullu	02	02	0
6	Solan	16	16	0
7	Kangra	25	25	0
8	Una	02	02	0
9	Shimla	15	15	0
10	Sirmaur	03	03	0
Total		**100**	**100**	**0**

2. **Information related to e-Samadhan: -**

Application Type	Received	No Action	In Progress	Disposed Off
Development Related	10	0	3	7
Public Grievance	41	11	5	25
Total	**51**	**11**	**8**	**32**

******